कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

F 14 ( ) 2016/FCA/PCCF/CCF EDS –I Dated 16-8-2018

Executive Engineer, PHED, Project Division-Chittorgarh }kjk **Bhasirodgarh Borav Water Supply Project** के निर्माण कार्य हेतु चित्तोडगढ जिले की 3.8122 है0, वन क्षैत्र के अनारक्षण के लिए online पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/WATER/17698/2016 से दिनांक 28.1.2016 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक कोटा वन्यजीव एवं उदयपुर द्वारा पार्ट ।।, ।।। की पूर्ती कर भिजवाये गये है। प्रसताव का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है :–

1. मुख्य वन संरक्षक कोटा वन्यजीव / उदयपुर द्वारा संलग्न किये गये पार्ट ।।। में प्रस्ताव संख्या , प्रस्ताव का नाम एवं रिकमेंडेड एरिया अंकित नही किया गया है।
2. उप वन संरक्षक एमएनपी कोटा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नही की गई है।
3. उप वन संरक्षक वन्यजीव कोटा द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में अभयारण्य क्षैत्र में आ रही गैर वन भूमि का उल्लेख नही किया गया है। एवं ईको क्लास सही अंकित नही किया गया है।
4. उप वन संरक्षक चित्तौडगढ द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वनखण्डवार आरक्षित / रक्षित का भूमि विवरण संलग्न नही किया गया है।
5. उप वन संरक्षक एमएनपी कोटा द्वारा एन0पी0वी0 गणना अभयारण्य क्षैत्र में आयी गई वन / गैर वन भूमि के अनुसार नही की गई है।
6. उप वन संरक्षक एमएनपी कोटा द्वारा 2.303 है0 गैर वन भूमि हेतु 10.50 लाख की वृक्षारोपण योजना संलग्न की गई है जो निर्धारित मॉडल के अनुसार नही है। राशि ज्यादा होने का कारण छोटा पैच होना अवगत कराया गया है। उक्त की कोई योजना संलग्न नही की गई एवं मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदित कराया जाना प्रस्तावित है। स्थल उपयुक्तता हार्ड प्रति में संलग्न किया गया है किन्तु ऑनलाईन नही किया गया है।
7. उप वन संरक्षक एमएनपी कोटा द्वारा 1.5092 है0 गैर वन भूमि हेतु 9.78 लाख की वृक्षारोपण योजना संलग्न की गई है जो निर्धारित मॉडल के अनुसार नही है। राशि ज्यादा होने का कारण छोटा पैच होना अवगत कराया गया है। उक्त की कोई योजना संलग्न नही की गई एवं मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदित कराया जाना प्रस्तावित है। स्थल उपयुक्तता हार्ड प्रति में संलग्न किया गया है किन्तु ऑनलाईन नही किया गया है।
8. उप वन संरक्षक एमएनपी कोटा द्वारा गजट नोटिफिकेशन / अभयारण्य के नामटिफिकेशन की की प्रति संलग्न नही की गई है।
9. उप वन संरक्षक एमएनपी कोटा द्वारा पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 5 में कार्य आयोजना विवरण संलग्न नही किया गया है।
10. यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत वनाधिकार प्रमाण पत्र 3.81 है0 का प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रस्ताव में सम्मिलित वन भूमि 3.8122 है0 है। उक्तानुसार संशोधन कराया जाना प्रस्तावित है।
11. प्रस्ताव में राज्य वन्यजीव की अनुमति संलग्न है किन्तु राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति संलग्न नही है।
12. जिला कलेक्टर द्वारा गैर वन भूमि 3.81 है0 दी गई है जबकि प्रस्ताव में प्रतयावर्तित होने वाली वन भूमि 3.8122 है0 है। उक्तानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

13. यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न की गई **KML file** में प्रस्तावित वन भूमि का क्षैत्र 4.4606 है0 आ रहा है जबकि प्रस्तावित वन क्षैत्र 3.8122 है0 है इसके अतिरिक्त सेगमेंट भी ग्रामवाइज एरिया केलकुलेशन शीट से मिलान नही करते है। संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः बिन्दु संख्या 1 लगायत 13 की सूचना उपलब्ध कराने हेतु मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव कोटा/ उदयपुर को निर्देशित किया जाता है।

21/8/18

(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR